बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग,

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC 525

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी,
औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद।

2. वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना वन प्रमंडल, पटना।

3. मुख्य प्रबंधक,
पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, पटना।

शुद्धि पत्र

पटना, दिनांक– 30/05/18

विषय – पटना एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत 400 KV D/C नवीनगर–पटना पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.8446 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/TRANS/27209/2017/2210 दिनांक 18.05.2018

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु 1.8446 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है–

1. परियोजना निर्माण के क्रम में 1.8446 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 11,54,720/– (रूपये ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ बीस) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण एवं विभाग को उपलब्ध कराएगी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त्त संख्या–4 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर तथा वर्त्तमान मजदूरी रू० 254/– प्रति मानव दिवस पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 19,28,933/– (रूपये उनीस लाख अट्ठाइस हजार नौ सौ तैतीस) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

3. **उपर्युक्त NPV एवं CA मद की कुल राशि रू० 30,83,653/– (रूपये तीस लाख तेरासी हजार छः सौ तिरपन) मात्र को मंत्रालय के वेव–साईट forestclearance.nic.in से e-challan generate कर online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कराया जाय।**

4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त्त संख्या–14 (d) के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं पटना वन प्रमंडल के द्वारा पारेषण लाईन के नीचे बौनी प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर तथा वर्त्तमान मजदूरी रू० 254/– प्रति मानव दिवस पर प्राक्कलन तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित कंडिका 1 से 20 में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने का कष्ट करें ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके। **इस कार्यालय के पत्रांक FC-503 दिनांक 23.05.2018 द्वार निर्गत पत्र के कंडिका संख्या–1 में राशि की गणना त्रुटिपूर्ण थी अतएव पत्रांक FC-503 दिनांक 23.05.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।**

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Aclisaundey 30/05/18

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।